प्रकाशन का 47 वां वर्ष
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
शैल
निष्पक्ष एवं निर्भीक
साप्ताहिक समाचार
ई–पेपर
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 47 अंक–8 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 14–21 फरवरी 2022 मूल्य पांच रूपए

मौद्रीकरण के नाम पर पंचायतों की संपत्तियों का भी होगा विनिवेश

- ❖ केंद्र ने राज्यों को भेजा पत्र
- ❖ हिमाचल सरकार ने पंचायतों से मांगा संपत्तियों का विवरण
- ❖ राजनैतिक दलों की चुप्पी सवालों में
- ❖ पंचायतों को संपत्तियों के विनिवेश से जुटानी होगी आय

शिमला/शैल। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के सचिव द्वारा 16 अगस्त 2021 को राज्य सरकारों को भेजे पत्र में निर्देश दिये गये हैं की पंचायतें अपने राजस्व संसाधन बढ़ाने के लिए अपनी संपत्तियों का मौद्रीकरण करें। पत्र में कहा गया है कि पंचायतें to raise own sources of revenue by monetisation of assets, lease of common property, property tax, panchayat land, ponds and small buildings. हिमाचल सरकार ने इन निर्देशों की अनुपालना में पंचायतों से खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से ऐसी संपत्तियों का विवरण मांग लिया है। स्मरणीय है कि इस बार केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में दस प्रतिशत की कमी की गई है। यही नहीं मनरेगा में 25.5% और पी डी एस में 28.5% की बजट में कमी की गयी है। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध रहता था और पी डी एस के तहत सस्ता राशन मिल जाता था। इनमें बजट की कमी से यह योजनाएं प्रभावित होंगी यह तय है। इन सारी कमियों का संयुक्त प्रभाव पंचायतों के कामकाज पर पड़ेगा। ग्रामीण विकास के बजट में भी 10% की कटौती हुई है। इस सबका परिणाम होगा कि पंचायतों को मौद्रीकरण के नाम पर अपनी संपत्ति निजी क्षेत्र को विनिवेश के नाम पर देने की बाध्यता आ जायेगी। इसका यह भी परिणाम होगा कि प्राइवेट सैक्टर को गांव में भी आने का अवसर मिल जायेगा।

पंचायत संपत्तियों के मौद्रीकरण की इस योजना के दूरगामी परिणाम होंगे यह स्वाभाविक है। लेकिन इस योजना पर सार्वजनिक मंचों पर कोई बहस न तो केंद्र ने उठायी है और न ही राज्य सरकारों ने। यहां तक कि विपक्ष ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा है। पंचायतों के पास संसाधनों के नाम पर ज्यादा कुछ है नहीं। केवल कुछ जमीन है जिनका दोहन हो नहीं पाया है। जयराम सरकार ने भी पिछले बजट में घोषणा की थी कि वह गांव में खाली पड़ी जमीनों को अपने नियंत्रण में लेंगे। सरकार की इस घोषणा पर अलग से कोई अमल नहीं हो पाया है। लेकिन राज्य सरकार की इस घोषणा को यह केंद्र के इस पत्र के आईने में देखा जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार गांव के स्तर पर तक अपनी संपत्तियों को प्राइवेट सैक्टर को देने का मन बना चुकी है और उस दिशा में लगातार बढ़ रही है। लैण्ड टाइटलिंग एक्ट का उद्देश्य की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाना है। यह अधिग्रहण आधारभूत ढांचा खड़ा करने के नाम पर किया जायेगा। आधारभूत ढांचे की संरचना का काम पहले ही निजी क्षेत्र को दिया जा चुका है। इस तरह सरकार की हर नीति गांव में प्राइवेट सैक्टर को लाने की बन चुकी है यह स्पष्ट हो जाता है।

इस परिदृश्य में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि पंचायतों की संपत्तियों के मौद्रीकरण को पंचायतों की आम ग्राम सभा बैठकों में चर्चा के लिये रखा जाये। सरकार ने तो अपने पत्र में पंचायतों के लिये पूरे वर्ष का माहवार ऐजैण्डा तय कर दिया है। लेकिन पंचायत स्तर तक जो पत्र पहुंचा है उसमें पंचायतों से उनकी संपत्तियों और उनकी लोकेशन का विवरण ही पूछा गया

शेष पृष्ठ 8 पर.........

कुमार विश्वास के आरोपों को हल्के से नहीं लिया जा सकता

- ➪ 2016 से लग रहे हैं यह आरोप
- ➪ केजरीवाल को आरोपों का हां या ना में जवाब देने में आपत्ति क्यों?
- ➪ केजरीवाल सरकार का कर्ज भार क्यों बढ़ रहा है और कैपिटल परिव्यय क्यों कम हो रहा है?

शिमला/शैल। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से

एक रहे डॉ. कुमार विश्वास का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संगीन आरोप लगा है कि वह खालिस्तान की मांग करने वालों के समर्थक हैं। खालिस्तान के समर्थक उनके घर आते थे और उन्होंने चुनाव में उनकी मदद की है। कुमार विश्वास 2016 से यह आरोप लगाते आ रहे हैं। 2017 में के.पी.एस. गिल ने भी कुछ इसी तरह की आशंका व्यक्त की है। 3 फरवरी 2017 को के.पी.एस. गिल ने इंडियन एक्सप्रेस से इस संदर्भ में बात की है। उस समय मीडिया ने इस आरोप को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन कुमार विश्वास पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि वह पहली बार किसी राजनीति से प्रेरित होकर यह आरोप लगा रहे हैं। इस समय चुनाव हो रहे हैं और आप पंजाब, उत्तराखंड और गोवा

शेष पृष्ठ 8 पर.........

राज्यपाल ने ब्रह्म कुमारी संस्थान में शिव ध्वजारोहण किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भारतीय उच्च परम्पराओं के पालन पर विशेष बल देते हुए कहा कि संगठन समाज में अच्छे विचारों और संस्कृति को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

राज्यपाल ने यह बात शिमला के निकट पंथाघाटी में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान में आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत आयोजित शिव ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि वर्तमान संदर्भ में संघ और संगठन की मजबूती ही एकमात्र बहुमूल्य अवधारणा है। यह हमारी शक्ति, धर्म और आस्था है।

उन्होंने धर्म की अलग तरह से व्याख्या पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि धर्म का अर्थ आत्म अनुशासन है। धर्म को अपनाने से शासन और विचारों में अवगुण नहीं आते। उन्होंने उपस्थित लोगों और संगठनों से समृद्ध संस्कृति की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए अपना जीवन समर्पित करने का आहवान किया ताकि समाज में अच्छी धारणा और संस्कृति स्थापित हो सके।

राज्यपाल ने कहा कि महाशिवरात्रि का हमारे सांस्कृतिक जीवन में एक विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति ने आध्यात्म को देश की आत्मा माना है, परन्तु हम संस्कृति के मूल विचारों को भूलकर पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी समृद्ध संस्कृति और धर्म ने विश्व के किसी भी भाग को बलपूर्वक जीतने की कोशिश नहीं की, अपितु हम लोगों के दिल जीतने में विश्वास रखते हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान इस भावना को आत्मसात कर कार्य कर रहा है। उन्होंने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि संस्थान द्वारा किए गए कार्य अनुकरणीय हैं।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने संस्थान के परिसर में एक सेब का पौधा भी रोपित किया।

इससे पूर्व, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान पंथाघाटी की प्रमुख ब्रह्म कुमारी रजनी ने राज्यपाल को सम्मानित किया। ब्रह्म कुमारी सुनिता ने राज्यपाल का स्वागत किया।

पूर्व विधायक ब्रह्म कुमार हृदयराम ने संस्थान की विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि विश्वभर के लगभग 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के 10 हजार से अधिक सेवा केन्द्रों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियमित विद्यार्थी आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कर रहे हैं।

इस अवसर पर कुमारी अर्शी दुल्टा ने नृत्य प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

राजभवन में भारत एवं बांग्लादेश फाउंडेशन के सदस्यों के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में भारत एवं बांग्लादेश फाउंडेशन के सदस्यों के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर भारत के विदेश राज्य मंत्री राजकुमार राजन सिंह और बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री मोहम्मद शहरयार आलम सहित दोनों देशों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

बांग्लादेश व भारत के संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत और बांग्लादेश संस्था ने संयुक्त रूप से 10वीं मैत्री संवाद का आयोजन किया।

राज्यपाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के सौहार्दपूर्ण रिश्तों का यह एक स्वर्णिम दौर है। उन्होंने कहा कि 50 वर्षों के हमारे घनिष्ठ संबंध इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से और अधिक प्रगाढ़ होंगे। बांग्लादेश और भारत फांउडेशन को बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि उनकी सार्थक पहल के कारण दोनों देशों के मध्य रिश्ते और अधिक मजबूत हुए हैं। एक संयुक्त सभ्यता विरासत में बंधे होने के अलावा दोनों देश लोकतंत्र के समान मूल्यों को साझा करते हैं तथा शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए आशावान हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश ने पड़ोसी देशों के मधुर संबंधों की एक मिसाल कायम की है।

राज्यपाल ने कहा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है। बांग्लादेश की आजादी के पश्चात हमने पाकिस्तान के युद्ध बन्दियों को सम्मानपूर्वक रिहा कर मानवता का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि शिमला स्थित राजभवन बांग्लादेश के पीपल्स वार से भी जुड़ा है और उस गौरवशाली इतिहास को प्रस्तुत करता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फीकार अली भुट्टो के मध्य वर्ष 1972 में ऐतिहासिक शिमला समझौता यहीं पर हस्ताक्षरित हुआ था।

राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि शिमला का शांत वातावरण और यहां का प्राकृतिक सौंदर्य सदैव उनकी मधुर स्मृतियों में रहेगा। उन्होंने आशा जताई कि सभी सदस्य हिमाचल के आतिथ्य सत्कार से अवश्य आनंदित हुए होंगे और उनकी यात्रा सुखद रहेगी।

इस अवसर पर राज्यपाल ने उन्हें हिमाचली टोपी, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

इससे पूर्व इण्डिया फाउडेशन के निदेशक कैप्टन आलोक बंसल ने भारत एवं बांग्लादेश फाउंडेशन के सदस्यों का स्वागत किया।

बांग्लादेश सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उप मंत्री मुहिबुल हुसैन चौधरी, राज्यसभा के सांसद सुरेश प्रभु, इण्डिया फांउडेशन की गवर्निंग काउसिल के सदस्य राम माधव, बांग्लादेश के पूर्व राज्य मंत्री एवं आवामी लीग की स्थाई समिति के सदस्य जहांगीर कबीर नानक, भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान, राज्यसभा के सांसद स्वप्नदास गुप्ता, राज्यसभा के सांसद भुवनेश्वर कलिता, लोकसभा के सदस्य राजदीप रॉय, हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला नागरिक अनघा आर्लेकर, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडु, जीओसी-इन-सी ऑरट्रेक लैफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला तथा बांग्लादेश और भारत फाउंडेशन के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

आबकारी विभाग ने अवैध शराब बनाने वालों पर कार्यवाही की

शिमला/शैल। आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग युनुस ने कहा कि विभाग की नूरपुर टीम द्वारा पंजाब के साथ लगते सीमान्त क्षेत्र छन्नी वैली में अवैध शराब बनाने वालों पर कार्यवाही की गई। विभाग द्वारा इस कार्यवाही में पंजाब आबकारी विभाग व पंजाब पुलिस की सहायता ली गई। इसके अतिरिक्त विभाग ने इंदौरा पुलिस थाना से भी इस कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए पुलिस सहायता ली।

उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग की नूरपुर टीम के सदस्यों ने पंजाब के सीमांत क्षेत्र में पंजाब आबकारी विभाग व पंजाब पुलिस के सहयोग से इस क्षेत्र में अवैध शराब बनाने वालों पर संयुक्त कार्यवाही की। विभाग को इस क्षेत्र में अवैध शराब के बनाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। लेकिन सीमान्त क्षेत्र होने की वजह से कार्यवाही करने में शुरू में कुछ कठिनाइयां आयी। परंतु इसके बावजूद भी विभाग ने इस क्षेत्र में कार्यवाही की और (85000 लीटर लाहन) कच्ची शराब को कब्जे में लिया और कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अवैध शराब को नष्ट किया गया है।

यूनुस ने बताया कि विभाग अवैध शराब बनाने वालों पर कड़ी कार्यवाही कर रहा है और भविष्य में भी यह कार्यवाही आगे जारी रहेगी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गुरू रविदास जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने गुरू रविदास जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल ने कहा कि गुरू रविदास एक महान आध्यात्मिक संत थे, जिन्होंने लोगों को सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश दिया। उनके आध्यात्मिक विचार व शिक्षाएं आज भी समाज को प्रेरणा देती हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि गुरू रविदास ऐसे महान संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया और लोगों को शांति, सद्भाव और समानता का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारे तथा सामाजिक समानता जैसे गुणों को अपनाने का आग्रह किया।

राज्यपाल ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता श्रिया लोहिया को किया सम्मानित

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर से राजभवन

में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित मण्डी जिले के सुंदरनगर उप-मंडल की निवासी कुमारी श्रिया लोहिया ने भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कुमारी श्रिया को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया।

राज्यपाल ने कुमारी श्रिया द्वारा मोटरस्पोर्ट्स कार्टिंग रेसर के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय रेसिंग में देश का प्रतिनिधित्व कर हिमाचल का गौरव बढ़ाया है। वह अन्य नवोदित खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला का कैलेंडर और डायरी जारी की।

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकाशनों विशेष तौर पर कॉफी टेबल बुक की सराहना करते हुए कहा कि इसमें विश्वविद्यालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अर्जित उपलब्धियों का संकलन किया गया है जो पाठकों के लिए उपयोगी साबित होगा।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकन्दर कुमार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य नागेश ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

अनिवार्यता एवं व्यवहार्यता प्रमाण पत्र? के लिए आवेदन करने की समय सीमा अधिसूचित

शिमला/शैल। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता वाले स्थानों के अंतर्गत निजी क्षेत्र में 2022-23 सत्र के लिए नये नर्सिंग संस्थान खोलने, वर्तमान नर्सिंग संस्थानों में नए नर्सिंग पाठ्यक्रम शुरू करने व सीटों में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनिवार्यता एवं व्यवहार्यता प्रमाण पत्र व एनओसी के लिए आवेदन करने की समय सीमा अधिसूचित कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि आवेदक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय को 1 फरवरी से 15 मार्च, 2022 तक ऑफलाइन माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय द्वारा प्रस्तावों की जांच 16 मार्च से 15 अप्रैल, 2022 तक की जाएगी। उप-मण्डल स्तरीय निरीक्षण समिति द्वारा संस्थानों का निरीक्षण चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय को निरीक्षण रिपोर्ट 16 अप्रैल से 31 मई, 2022 तक प्रस्तुत की जायेगी। निदेशालय स्तर की मूल्यांकन समिति द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट का मूल्यांकन तथा सरकार को प्रस्ताव 1 जून से 31 जुलाई, 2022 तक प्रस्तुत किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपने क्षेत्र के विकास के लिए रचनात्मक योगदान देने का आह्वान किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के युवाओं से अपने क्षेत्र के विकास के लिए रचनात्मक योगदान देने का आह्वान किया है। वह शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सराज छात्र कल्याण संघ द्वारा राजकीय वल्लभ स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडी में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम शाश्वत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सम्मान और स्वाभिमान के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़कर ही जीवन के ध्येय को प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में सराज क्षेत्र की 78 पंचायतों में सड़क सुविधा उपलब्ध है और क्षेत्र में 40 से अधिक बसों का परिचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सराज क्षेत्र के लोग देश व प्रदेश के हर क्षेत्र के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने सराज के युवाओं से अपनी संस्कृति के विकास व सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने का आह्वान किया।

उन्होंने वल्लभ स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडी में अध्ययन के दौरान अपनी मधुर स्मृतियां भी साझा की तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए सराज छात्र कल्याण संघ की सराहना की। उन्होंने कहा कि सराज छात्र कल्याण संघ ने कोरोना संकटकाल के दौरान मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्त्वकांक्षी योजनाएं आरम्भ की हैं जिनमें अखंड शिक्षा ज्योति-मेरे स्कूल से निकले मोती, अटल आदर्श विद्यालय योजना, स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना, स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय कलस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना सहित कई योजनाएं शामिल हैं। कोरोना काल के दौरान सरकारी विद्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू बनाए रखने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश के गठन के बाद केवल शिमला में ही राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। वर्तमान प्रदेश सरकार के सार्थक प्रयासों से मंडी में दूसरा राज्य विश्वविद्यालय 1 अप्रैल, 2022 से कार्यशील हो जाएगा। इससे मंडी, कुल्लू, बिलासपुर जिला सहित प्रदेश के अन्य जिलों के छात्रों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने सराज छात्र कल्याण संघ को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 51 हजार रुपये प्रदान करने की घोषणा भी की।

इस कार्यक्रम में संकुल विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति सीएल चन्दन, राजकीय वल्लभ स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडी के प्रधानाचार्य वाईडी शर्मा, भाजपा सराज मंडल के अध्यक्ष भागीरथ शर्मा, सराज छात्र कल्याण संघ के अध्यक्ष टिकम ठाकुर, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य गुलजारी लाल ठाकुर, उपमंडलाधिकारी मंडी रीतिका जिंदल अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभासीष पन्डा ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई विभिन्न विकासात्मक कार्यों की घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में घोषणाओं के प्रक्रियाधीन एवं लम्बित मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई।

सुभासीष पन्डा ने विभागों को उनसे संबंधित घोषणाओं पर त्वरित कार्य करने तथा विकासात्मक परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग लम्बित मामलों की सूची बनाकर प्रशासनिक विभाग को भेजें, ताकि कार्य को तत्परता से आगे बढ़ाया जा सके।

उन्होंने कहा कि घोषणाओं के प्रक्रियाधीन मामलों की रिपोर्ट ई-समाधान पोर्टल पर लगातार अपलोड की जानी चाहिए ताकि इनकी नवीनतम स्थिति का अवलोकन किया जा सके।

बैठक में विभिन्न विभागाध्यक्षों ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन की वस्तुस्थिति की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

मुख्यमंत्री के विशेष सचिव हरबंस सिंह ब्रसकोन ने कार्यवाही का संचालन किया।

स्वास्थ्य संस्थानों में बायो मेडिकल कचरा प्रबंधन को उचित कदम उठाएं : निपुण जिंदल

शिमला/शैल। उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि कांगड़ा जिला के सभी स्वास्थ्य संस्थानों, पशु चिकित्सा संस्थानों में बायो मेडिकल कचरा प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बाबत उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक, पशु पालन विभाग के अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक भी आयोजित की। उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पहले ही बायो मेडिकल कचरा के कारगर प्रबंधन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तथा उन्हीं आदेशों के आधार पर जिला के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में बायो मेडिकल कचरा प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने के लिए कहा गया है।

उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक तथा पशु पालन विभाग को अपने विभागों से संबंधित ऐसे सभी संस्थानों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है जिनमें बायो मेडिकल कचरा प्रबंधन के लिए आवश्यक पिट्स इत्यादि तैयार नही किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर आयुर्वेदिक औशधालय, प [illegible] औशधालय इत्यादि एक ही जगह पर हैं वहां पर संयुक्त तौर भी बायो मेडिकल कचरा प्रबंधन की दिशा में कार्य किया जा सकता है।

उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने इस के लिए आयुर्वेदिक, स्वास्थ्य तथा पशु पालन विभाग को नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं तथा एक सप्ताह के भीतर कार्य योजना तथा बायो मेडिकल कचरा प्रबंधन को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि बायो मेडिकल कचरे का उचित निष्पादन भी सुनिश्चित किया जाएगा इस के लिए निजी एजेंसी के साथ बायो मेडिकल कचरे को स्वास्थ्य संस्थानों से एकत्रीकरण के लिए प्राधिकृत किया गया है तथा नियमित तौर पर बायो मेडिकल कचरा संस्थानों से एकत्रित करने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निकायों में भी घरों से बायो मेडिकल बेस्ट के एकत्रीकरण के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी इस के लिए भी नगर निकाय प्रबंधन को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बायो मेडिकल कचरे का उचित प्रबंधन जरूरी है। इस अवसर पर सीएमओ डा गुरदर्शन गुप्ता, प्रिंसिपल टांडा मेडिकल कालेज भानु अवस्थी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, आयुर्वेदिक तथा पशु पालन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

शहरी विकास मंत्री ने पार्किंग सुविधा के लिए दो करोड़ रुपये स्वीकृत किए

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश के विकास में शहरी विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। शहरों में बेहतर सड़क सुविधा के दृष्टिगत वाहनों की संख्या बढ़ने से पार्किंग की सुविधा बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। इस सन्दर्भ में नगर पंचायत जुब्बल में पार्किंग के निर्माण के लिए जुब्बल-कोटखाई के पूर्व विधायक दिवंगत नरेन्द्र बरागटा की मांग पर सरकार द्वारा पहले ही एक करोड़ रुपये जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि इस पार्किंग के लिए आज दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है।

उन्होंने कहा कि जुब्बल के लोगों की पार्किंग की मांग को लेकर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार इस पार्किंग के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तीन करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस पार्किंग से क्षेत्र के लोगों को पार्किंग की सुविधा प्रदान होगी तथा यह पार्किंग दिवंगत नरेन्द्र बरागटा को श्रद्धांजलि होगी।

औद्योगिक निवेश नीति-2019 के तहत औद्योगिक इकाईयों को एकमुश्त छूट

शिमला/शैल। उद्योग विभाग के ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हिमाचल में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोत्साहन, रियायत और सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिनांक 16 अगस्त, 2019 को हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 अधिसूचित की थी। इसमें प्रमुख प्रोत्साहनों में विस्तृत परियोजना की लागत के लिए 50 प्रतिशत की दर से अनुदान, 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान, 50 प्रतिशत की दर से संयंत्र और मशीनरी के परिवहन के लिए सहायता, मालभाड़ा अनुदान 3 से 5 प्रतिशत, गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता 50 प्रतिशत, अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए अनुदान 25 प्रतिशत, शुद्ध राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति 50 से 90 प्रतिशत की दर से सूक्ष्म, लघु, मध्यम बड़े व एन्कर इकाईयों के लिए अधिसूचित किए गए थे।

प्रवक्ता ने बताया कि अधिकांश औद्योगिक इकाइयां कोरोना महामारी के कारण समय पर आवेदन नहीं कर सकी थी। ऐसे में प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इकाईयों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए औद्योगिक निवेश नीति-2019 के तहत परिभाषित विभिन्न प्रोत्साहनों के लिए जो इकाईयां समय पर आवेदन नहीं कर पाई हैं, उन्हें आवेदन करने के लिए 31 मार्च, 2022 तक एकमुश्त छूट प्रदान की है।

आबकारी विभाग ने अनियमितता पाए जाने पर शराब फ़ैक्ट्री का लाइसेंस किया रद्द

शिमला/शैल। आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी यूनुस ने बताया कि विभाग अवैध शराब के कारोबारियों पर लगातार कारवाई कर रहा है। विभाग ने इस की निरंतरता में सिरमौर ज़िले में बड़ी कार्रवाई की है।

उन्होंने बताया कि कुछ समय से विभाग द्वारा सिरमौर ज़िले के नारीवाला, पांवटा साहिब स्थित शराब की एक फ़ैक्ट्री द्वारा की गई अनियमितताओं की जाँच की जा रही थी। इस उच्च स्तरीय जाँच में शराब बनाने, इसके रख-रखाव और ढुलाई से जुड़ी अनियमितताएं और खामियां पाई गई। यह भी पाया गया की उक्त बिवरेज़िज़ कम्पनी ने शराब की लगभग 900 पेटियों की बिना किसी वैध पास अथवा परमिट के ढुलाई की। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उक्त कम्पनी द्वारा लाइसेंस के नियम एवं शर्तों की बार-बार उल्लंघना की गई है और इससे पहले भी उस पर भारी जुर्माना/दंडात्मक कार्रवाई हुई है।

इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए विभाग ने उक्त शराब की फ़ैक्ट्री का लाइसेंस रद्द कर दिया है और फ़ैक्ट्री को सील करने के भी आदेश दे दिए हैं। यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, डिस्टिलरीज रूल्ज़ और एचपी बांडिड वेयर हाउस रूल्ज़ के तहत की गई है।

उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व आबकारी विभाग की नूरपुर टीम द्वारा भी पंजाब के साथ लगते सीमान्त क्षेत्र छन्नी वैली में अवैध शराब बनाने वालों पर संयुक्त कार्यवाही की गई थी। विभाग को इस क्षेत्र में अवैध शराब बनाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। सीमांत क्षेत्र होने के बावजूद विभाग ने इस क्षेत्र में कार्यवाही की और कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद लगभग 85000 लीटर कच्ची शराब नष्ट कर दी गई थी।

उन्होंने बताया कि विभाग अवैध शराब बनाने वालों पर कड़ी कार्यवाही कर रहा है और भविष्य में भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

आबकारी नीति प्रबंधन के लिए बैठक आयोजित

शिमला/शैल । राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा वित्त वर्ष-2022-23 की आबकारी नीति के प्रबंधन के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधान सचिव राज्य कर एवं आबकारी सुभासीष पन्डा, राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विभिन्न जिलों के आबकारी लाइसेंसियों ने हिस्सा लिया।

प्रधान सचिव ने राजस्व को बढ़ाने तथा विभाग की नीति के अनुसार व्यापार संचालन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी लाइसेंसी गलत गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाही सुनिश्चित की जाएगी।

विभिन्न जिलों से आये आबकारी लाइसेंसियों तथा प्रदेश स्थित आसवनी एवं बोतलीकरण संयंत्रों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किये। इन सुझावों को आगामी कार्यवाही के लिए सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

इस अवसर पर लाइसेंसियों को शराब व्यवसाय के संचालन के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को लागू करने के बारे में जानकारी भी प्रदान की गई।

दिन–रात अपने मस्तिष्क को, उच्चकोटि के विचारो से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा।

......स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

चुनाव आयोग की प्रसांगिता पर उठते सवाल

क्या चुनाव आयोग की प्रसांगिता प्रश्नित होती जा रही है? यह सवाल पांच राज्यों के लिये हो रहे विधानसभा चुनाव के परिदृश्य में एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। क्योंकि इस चुनाव की पूर्व संध्या पर जिस तरह से प्रधानमंत्री का साक्षात्कार प्रसारित हुआ और चुनाव आयोग इस पर चुप रहा। इसी तरह योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू भी प्रसारित हुआ। चुनाव आयोग ने इसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया। जबकि 2017 के चुनाव में इसी तरह के राहुल गांधी के एक इंटरव्यू पर चैनल के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गयी थी। 2017 से 2022 तक आते–आते चुनाव आयोग यहां तक पहुंच गया उसके सरोकार बदल गये हैं। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें हर चुनाव में आ रही है। इस बार भी उत्तर प्रदेश के हर चरण में यह शिकायतें आ रही हैं। देश के सारे विपक्षी दल ईवीएम की जगह मत पत्रों के माध्यम से चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। ईवीएम के साथ वीवीपैट की पूरी गणना करने और ईवीएम के साथ मिलान करने की मांग को नहीं माना जा रहा है। क्या इस परिदृश्य में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठते सवालों को नजरअंदाज किया जा सकता है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर अभी तक आपराधिक मामला दर्ज करके चुनाव रोकने का प्रावधान नहीं हो पाया है। संसद और विधानसभाओं को अपराधियों से मुक्त करवाने तथा एक देश एक चुनाव के दावे सभी सिर्फ जनता का ध्यान बांटने के हथकण्डे होकर रह गये हैं।

इसी चुनाव में एक स्ट्रिंग ऑपरेशन के माध्यम से बसपा और भाजपा के दो बड़े नेताओं के बीच हुई बैठक का एक आडियो/वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कथित रूप से यह कहा गया है कि बसपा की करीब 40 सीटें आयेंगी जिन्हें तीन सौ करोड़ लेकर भाजपा को सौंप दिया जायेगा। इस आडियो/ वीडियो का भाजपा और बसपा द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। इसी तरह पंजाब के चुनाव को लेकर हुई एक चैनल वार्ता में भाजपा के प्रतिनिधि ने यहां तक कह दिया कि यदि भाजपा की पच्चीस सीटें भी आ गयी तो सरकार वही बनायेंगे। इस दावे का सीधा अर्थ है कि धन और बाहुबल के सहारे ऐसा किया जायेगा। पंजाब के मतदान की तारीख चौदह फरवरी से बीस कर दी गयी और इसी दौरान बाबा राम रहीम को पांच बार पैरोल मिल गयी। यह संयोग कैसे घटा इसे हर आदमी समझ रहा है। इन सारे मुद्दों पर चुनाव आयोग खामोश रहा और इसी से सवाल उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव को बड़े योजनाबद्ध तरीके से धन केंद्रित बनाया जा रहा है। आज भाजपा अपनी घोषित आय के मुताबिक देश का सबसे अमीर राजनीतिक दल बन गया है। इसके लिये जिस तरह के नियमों को बदला गया है उस पर नजर डालने से सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एफ सी आर ए को लेकर एक याचिका दायर हुई जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों को दोषी पाते हुए इनके खिलाफ छः माह के भीतर कारवाई करने के निर्देश चुनाव आयोग को दिये गये थे। लेकिन चुनाव आयोग के कुछ करने से पहले ही 2016 में सरकार ने विदेशी कंपनी की परिभाषा बदल दी और इसे 2010 से लागू कर दिया। इसके बाद फाइनेंस एक्ट की धारा 154 और कंपनी एक्ट की धारा 182 बदल दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बदलाव को अस्वीकार करते हुए फिर भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ आयोग को कारवाई के निर्देश दिये। लेकिन 2018 में सरकार ने एफ सी आर ए में 1976 से ही बदलाव करके विदेशी कंपनियों से लिये गये चन्दे को वैध करार दे दिया और चन्दा देने की सीमा बीस हजार से घटाकर दो हजार कर दी। अब इलेक्ट्रोरल बॉन्ड लाकर सारा परिदृश्य ही बदल दिया गया है। इस इलेक्ट्रोरल बॉन्ड के जरिये कोई भी किसी भी पार्टी को कितना भी चन्दा दे सकता है क्योंकि बॉन्ड एक बीयरर चेक की तरह है जिस पर न खरीदने वाले का नाम होगा और न ही इसको भुनाने वाले दल का नाम होगा। पन्द्रह दिन के भीतर इसे कैश करना होता है। एक वर्ष में जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर में दस–दस दिनों के लिए बॉन्ड खरीद खोली जाती है। एस बी आई की 29 शाखाओं से यह खरीदे जा सकते हैं जो राज्यों के राजधानी नगरों में स्थित हैं। एक लाख से लेकर एक करोड़ तक का चन्दा इसके माध्यम से दिया जा सकता है। इन बॉन्डस को लेकर चुनाव आयोग लगातार मूकदर्शक की भूमिका में रहा है जबकि इन बॉन्डस के माध्यम से ब्लैक मनी का आदान–प्रदान हो रहा है। क्योंकि कोई भी पंजीकृत दल यह चन्दा लेने का अधिकारी है यदि उसे चुनावों में कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल हुये हैं। अभी पांच राज्यों के चुनावों से पहले जनवरी 2022 के दस दिनों ही चन्दा देने के लिये एस बी आई से 1213 करोड़ के यह बॉन्डस बिके हैं। 2018 से लेकर अब तक 9207 करोड़ का चन्दा राजनीतिक दलों को इनके माधयम ये मिला है। क्या इस तरह के चन्दे से चुनाव केवल पैसे के गिर्द ही केंद्रित होकर नहीं रह जायेंगे? क्या यह एक प्रभावी लोकतंत्र बनाने में सहायक हो पायेंगे? क्या चुनाव आयोग की स्वायत्तता का यही अर्थ है कि वह इस सब को देखकर अपनी आंखें और मुंह बन्द रखे?

हिजाब के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं की लामबंदी जरूरी

गौतम चौधरी

एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां आपको पितृसत्तात्मक समाज, गरीबी से लड़ना हो, अपने आसपास की रूढ़ियों को तोड़ना हो, खुद को शिक्षित करना हो, यह कितना कठिन हो सकता है, इसकी कल्पना करके ही भविष्य अंधकारमय दिखने लगता है। यह वास्तव में इस देश की लाखों मुस्लिम महिलाओं के साथ–साथ अन्य समाज की महिलाओं की वास्तविकता है। फिलहाल पूरे देश में हिजाब पर बवाल मचा हुआ है। घुंघट हो या हिजाब, दोनों पितृसत्ता का प्रतीक है। जब आप एक भारतीय मुस्लिम महिला हैं तो शिक्षा प्राप्त करना निश्चित रूप से या तो एक विशेषाधिकार या संघर्ष है। एनएसएसओ के हालिया आंकड़ों ने पुष्टि की है कि मुसलमानों में उच्च स्तर की निरक्षरता और सामान्य शिक्षा का निम्न स्तर है, जो समुदाय को गरीबी के दुष्चक्र में फंसाता है। क्या आपको लगता है कि हिजाब पहनना शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है?

वैसे फिलहाल इसे धार्मिक अनुशासन की अपेक्षा राजनीतिक हथकडे के रूप में ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। इसे वे लोग भी सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं, जो मुसलमानों के रहनुमा बनने का दावा करते हैं। भारत में धरुवीकरण के खेल में लगी तमाम पार्टियां इस मामले को तूल दे रही है। सबसे ज्यादा तूल दक्षिण का चरमपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के समर्थकों की ओर से दिया जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि एक महिला के लिए शिक्षा के बिना किसी भी तरह के षडयंत्र को समझना कितना मुश्किल हो जाता है। पाखंड यह है कि कुछ मुस्लिम संगठनों, विशेष रूप से वो जिन्होंने अपने संगठन में महिलाओं का भी एक विंग बना रखा है और मुस्लिम महिलाओं के लिए बार–बार चिंता दिखाते हैं, लेकिन उन्हें शिक्षित या प्रशिक्षित करने का ख्याल कभी उनके दिमाग में नहीं आया है। जिस प्रकार तीन तलाक का का अंत किया गया उसी प्रकार अन्य रूढ़ियों के खिलाफ भी आवाज बुलंद होनी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र ने हिन्दू महिलाओं को कानून बनाकर कई प्रकार के अधिकार दिलवाए, जिसे किसी जमाने में धर्म विरूद्ध माना जाता था, लेकिन अब समाज ने उसे स्वीकार कर लिया। उसी प्रकार मुस्लिम महिलाओं को भी धर्म और परंपराओं के नाम पर पुरूष प्रधान समाज के द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसे भी ठीक करने की जरूरत है। मैं समझता हूं तीन तलाक इसकी शुरूआत थी और हिजाब के खिलाफ मुहिम एक बड़ा आन्दोलन लेकर आयेगा।

गजाला जमील ने अपनी पुस्तक ''मुस्लिम वीमेन स्पीक ऑफ ड्रीम्स एंड शेकल्स'' में सटीक रूप से स्पष्ट किया है कि समस्या यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय मुस्लिम महिलाओं की आवाज विलीन हो जाती है। घुल जाती है और मुस्लिम पुरुष आवाज में खो जाती है। उनकी आवाज उठाना हिजाब पहनने से ज्यादा जरूरी है। यह सच है कि पितृसत्ता के संबंध में भारतीय मुस्लिम महिलाओं का अनुभव गैर–मुस्लिम महिलाओं से अलग है। इस अंतर में सबसे महत्वपूर्ण उनकी मुक्ति का राजनीतिकरण है। मुस्लिम महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ा बाधक हिजाब ही है। इसकी तुलना आप घुंघट से कर सकते हैं।

रामफुल ओहलान द्वारा ''भारत में मुस्लिम महिला: जनसांख्यिकी, सामाजिक आर्थिक और स्वास्थ्य असमानताओं की स्थिति'' शीर्षक से एक पेपर भारत में मुस्लिम महिलाओं पर केन्द्रित प्रकाशित की गयी है। इसमें भारतीय मुस्लिम महिलाओं की जनसांख्यिकीय, सामाजिक –आर्थिक और स्वास्थ्य असमानताओं का अध्ययन किया गया है। इसका निष्कर्ष निकाला कि भारत के कुल महिला कार्यबल (देश) के अनुपात में मुस्लिम महिला कार्यबल का हिस्सा कुल महिला जनसंख्या से बहुत कम है। असली सशक्तिकरण हिजाब अपनाने में नहीं है। उसी पेपर के अनुसार, मुस्लिम महिलाएं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना में गरीब हैं। हिजाब पहनने से उनके परिवार का पेट नहीं भरने वाला था। रामफुल ओहलान द्वारा उसी पेपर के अनुसार, मुस्लिम महिलाओं के पास धन और सूक्ष्म ऋण तक पहुंच नहीं है और घरेलू अर्थशास्त्र में उनकी नगण्य भागीदारी है। हिजाब अपनाने से उनके हालात बदलने वाले नहीं। रामफुल ओहलान द्वारा उसी पेपर में सिफारिश की गई है कि मुस्लिम महिलाओं के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार और पेशेवर कौशल में सहायता प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है। हिजाब अपनाने से उनके स्वास्थ्य की स्थिति मजबूत नहीं होने वाली थी, बल्कि कमजोर होगी।

मुस्लिम महिलाएं विकास के लिए हिजाब नहीं चाहती हैं, उन्हें सरकारी नीतियों की आवश्यकता है जो उनके सशक्तिकरण, भारतीय कार्यबल में उनकी भागीदारी, उनके स्वास्थ्य, उनके जीवन स्तर, उनकी साक्षरता और उनकी वित्तीय स्थिरता में सहायता करें। मुस्लिम समुदाय के भीतर धार्मिक और आधुनिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाने की अधिक आवश्यकता है ताकि इसकी महिला आबादी अपने लिए एक उज्जवल भविष्य सुरक्षित करने में सक्षम हो और सामुदायिक कल्याण व विकास में योगदान दे सकें। मुस्लिम संगठनों को हिजाब की ओर ध्यान देना बंद कर देना चाहिए। इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि भारतीय मुस्लिम महिलाओं को अपने मूल्य, स्थान और जिम्मेदारी को समझने और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को तैयार करने की जरूरत है, साथ ही अपनी मुस्लिमता पर जोर देने की जरूरत है। हिजाब वह नहीं है जो उन्हें अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए चाहिए। हिजाब पहनना इस्लाम में महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भी नहीं है, बल्कि उनको एक अलग और स्वतंत्र पहचान के रूप में मान्यता और कई आर्थिक अधिकार जैसे कि संपत्ति का अधिकार, विरासत साझा करना, अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होना, आदि शिक्षाओं की जरुरत है, जो पवित्र कुरान में साफ शब्दों में दर्ज है।

हिजाब के इस्लाम का अभिन्न अंग होने का प्रचलित विचार इस्लाम की शिक्षाओं की अज्ञानता का परिणाम है। मुसलमानों में चरमपंथी चाहते हैं कि हिजाब के मुद्दे को गति मिले ताकि उन्हें पर्दा के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को दबाने और समाज में अपने आंदोलन को कम करने का मौका मिल सके। वर्तमान में, हिजाब पहने बिना हजारों मुस्लिम महिलाएं सफलतापूर्वक व्यवसाय कर रही हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मालकीन बन रही हैं। विभिन्न अस्पतालों, बैंकों, स्कूलों, कॉलेजों और कई अन्य अनुकूल स्थानों में काम कर रही हैं।

इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार, महिलाओं को वधू मूल्य (मेहर) के रूप में पैसा मिलता है, जो उन्हें अपने पति से मिलता है। पैतृक संपत्ति में भी उसका वैध हिस्सा है। क्या हिजाब पहनना पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा पाने की कसौटी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लामी शिक्षा के साथ–साथ महिलाओं को औपचारिक शिक्षा प्रणाली से सज्ज होना होगा, तभी वे भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकती हैं साथ ही अपने बच्चों को ताकतवर बना सकती हैं। हिजाब निश्चित रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं है। इस्लाम का अध्ययन करने वाला व्यक्ति इस्लाम के उदय से पहले और उसके बाद अरब समाज में महिलाओं की स्थिति को यदि ठीक से जान जाए तो हिजाब की समस्या ही सुलझ जाए। इस्लाम में महिलाओं के लिए विशेष अधिकार निर्धारित किए गए हैं, जो उनकी स्थिति को बढ़ाते हैं और उन्हें सभी आयामों से सशक्त बनाती है। हिजाब इस सशक्तिकरण का अभिन्न अंग नहीं रहा है। शादी या शिक्षा से लेकर व्यवसाय तक, इस्लाम में महिलाएं बिना किसी बाधा के अपनी पसंद करने के लिए स्वतंत्र हैं और उनके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हिजाब की आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम अधिकारों के कथित ध्वजवाहक संगठनों के निर्णय लेने या सलाहकार निकायों में महिलाओं की संख्या नगण्य है। जब वे अपने संगठनों में मुस्लिम महिलाओं के उचित प्रतिनिधि प्रदान नहीं कर सकते, तो वे अपने परिवारों और समाजों में उनका समर्थन कैसे कर सकते हैं, यह सोचने वाली बात है।

डिजिटल विश्वविद्यालय:शिक्षा का एकीकरण, समावेशन पर अमल

प्रो. राघवेंद्र पी. तिवारी
कुलपति
पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा

शिक्षा प्रणाली को समावेशी, गतिशील और आधुनिक होना चाहिए ताकि वह शिक्षा ग्रहण करने वालों के एक विविध समूह की बढ़ती जरूरतों एवं आकांक्षाओं को पूरा कर सके। इस प्रणाली को सामयिक और प्रासंगिक बने रहने के लिए अपने संबद्ध क्षेत्र में होने वाली प्रगति को अपनाने में समर्थ होना चाहिए। इस दृष्टि से, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) एक महान प्रवर्तक होने के साथ-साथ बेहद अशक्त बनाने वाली भी है। यदि हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के साथ कदम मिलाकर चलते हैं, तो यह हमारे लिए एक प्रवर्तक बन जाता है और यदि हम पिछड़ जाते हैं, तो यह हमें बेहद अशक्त बनाने वाला साबित हो जाता है। विशेष रूप से कोरोना महामारी के बाद, डिजिटल या आभासी शिक्षा दुनिया भर में सीखने- सिखाने के सबसे शक्तिशाली माध्यम के रूप में उभर रही है। ऑनलाइन शिक्षण की बदौलत शिक्षण संस्थानों के बंद रहने के कारण शिक्षा में होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सका। उच्च बैंडविड्थ इंटरनेट कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण संबंधी सीमाओं के बावजूद, ऑनलाइन शिक्षण ने शैक्षणिक सत्रों को शून्य होने से बचाने में मदद की और छात्रों के कीमती वर्ष बच गए। कोरोना महामारी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को ऑनलाइन शिक्षण से जुड़े घटकों की प्रतिशतता को 20 से बढ़ाकर 40 करने के लिए प्रेरित किया। कई विश्वविद्यालयों ने इनफ्लिबनेट द्वारा अनुकूलित एलएमएस का सहारा लिया। इस प्रक्रिया में, शिक्षकों और छात्रों ने ऑनलाइन सीखने-सिखाने के मामले में काफी हद तक कुशलता हासिल की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मिश्रित शिक्षा के विनियमन से संबंधित एक मसौदा शिक्षाविदों के सुझावों के लिए अपलोड किया और विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम पेश करने की अनुमति दी। शिक्षा मंत्रालय ने समानता, पहुंच, गुणवत्ता और सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सुधार के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) से जुड़ी कई पहल शुरू की है। इनमें स्वयं, अर्पित, स्वयंप्रभा, एनपीटीईएल, एनडीएल, ई-पीजी पाठशाला, शोधगंगा, ई-शोधसिंधु, ई-यात्रा, शोध शुद्धि, स्पोकन ट्यूटोरियल, वर्चुअल लैब्स, विद्वान आदि जैसी पहल शामिल हैं। आभासी शिक्षा (वर्चुअल लर्निंग) का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उपर्युक्त एवं नए प्रयासों में तेजी लाने तथा इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है।

भविष्य में शिक्षा प्रणाली में होने वाले विकास का पूर्वानुमान लगाते हुए, केन्द्र सरकार ने 17 मई, 2020 को कई पहल की घोषणा की। इनमें दीक्षा (एक राष्ट्र-एक डिजिटल प्लेटफॉर्म), एक कक्षा-एक चैनल (कक्षा-बारहवीं तक), दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष ई-सामग्री और उच्च शिक्षा के लिए रेडियो, सामुदायिक रेडियो एवं पॉडकास्ट और ई-ट्यूटरिंग के उपयोग समेत विविध पद्धतियों के माध्यम से डिजिटल शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम का शुभारंभ शामिल हैं।

ये सभी कदम स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि सरकार डिजिटल शिक्षा के मामले में एक बड़ी छलांग की तैयारी कर रही थी, जोकि अंततः 1 फरवरी, 2022 को श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा के साथ साकार हुई। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य देश भर के छात्रों को उनके 'हाथ' में सीखने के व्यक्तिगत अनुभवों के साथ विश्वस्तरीय गुणवत्ता वाली सर्वव्यापी शिक्षा प्रदान करना है। इसे एक नेटवर्क पर आधारित हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर स्थापित किया जाएगा। इस मॉडल में, ज्ञान एक केन्द्रीकृत हब से शुरू होगा और डिजिटल तरीके से उपयोग के लिए स्पोक (छोटे स्थानों) तक जाएगा। यहां, हब का आशय भारत के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों से है और स्पोक का आशय व्यक्तिगत रूप से छात्रों से है जोकि डिजिटल मोड के माध्यम से ज्ञान के वितरण के लाभार्थी होंगे। यह डिजिटल विश्वविद्यालय सीखने -सिखाने की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए आईएसटीई मानकों का पालन करेगा। मूल बात यह है कि प्रत्येक हब को एक अत्याधुनिक आईसीटी प्रणाली विकसित करने की जरूरत होगी। इस योजना की खूबी यह है कि इस प्रकार के हब से निकलने वाला वाला ज्ञान विभिन्न भारतीय भाषाओं में होगा।

एक डिजिटल या आभासी विश्वविद्यालय द्वारा अपनाये जाने वाले शिक्षा के विभिन्न तरीकों में दूरस्थ शिक्षा से लेकर सीधे प्रसारित, संवादात्मक कक्षाओं तक शामिल होते हैं जहां छात्र शिक्षक के साथ सीधा संवाद करते हैं। सीखने के एक अनूठे माहौल में, छात्रों को अपनी तरह के पाठ्यक्रमों में से एक समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए असाइनमेंट दिए जाते हैं। छात्र अपनी गति से असाइनमेंट पूरा करते हैं और इससे संबंधित बातचीत डिस्कशन बोर्ड, ब्लॉग, विकी आदि तक सीमित होती है। इसके उलट, समकालिक ऑनलाइन पढ़ाई वास्तविक समय में होती है, जिसमें शिक्षक और छात्र सभी एक साथ ऑनलाइन संवाद करते हैं। यह पढ़ाई लिखित (टेक्स्ट), वीडियो, ऑडियो या सभी मोड में होती है। कक्षा के निर्धारित समय के अलावा, आमतौर पर अतिरिक्त कार्य पूरे करने होते हैं। इसलिए ये पाठ सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं। मेरे विचार से, प्रस्तावित डिजिटल विश्वविद्यालय को विविध किस्म की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑनलाइन शिक्षण के सभी तीन मॉडलों को अपनाना चाहिए। इसका एक अतिरिक्त लाभ यह है कि छात्र कभी भी बिना कहीं गए अपने घरों से स्नातक कर सकते हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन संसाधन एक पुस्तकालय के तौर पर कार्य करते हैं और ऑनलाइन अध्ययन सामग्री तैयार करने की सुविधा के जरिए पाठ्यपुस्तक संबंधी जरूरतों को भी पूरा किया जाता है।

हालांकि, सावधानी बरतने की बात यह है कि ऑनलाइन शिक्षण इकोसिस्टम में शिक्षार्थियों का ध्यान लगातार उच्च स्तर पर बनाए रखना अत्यंत कठिन हो जाता है और इस प्रकार वर्तमान स्वरुप में यह शिक्षण-प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो जाती है। शिक्षकों को छात्रों का ध्यान स्क्रीन पर केंद्रित रखने के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम रचनात्मक तरीके खोजने होंगे, क्योंकि छात्र अपने घर के आरामदायक वातावरण में होते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षण-सामग्री और छोटे अवकाश(छात्रों के ध्यान को केन्द्रित बनाये रखने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा, वर्तमान शिक्षण-प्रक्रिया के वातावरण को, शिक्षकों और छात्रों को नुकसान से बचाने और इसे क्लासरूम जैसा आपसी बातचीत पर आधारित बनाने के लिए अत्यधिक अनुशासित और विषय पर केंद्रित होना चाहिए। कठिन पाठों को सरल बनाकर खेल के रूप में प्रस्तुत करने के माध्यम से डिजिटल शिक्षार्थियों को प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सकता है। यह प्रक्रिया छात्रों के सीखने के अनुभव में स्पष्टता और आनंद लाती है। कठिन पाठों को सरल बनाते हुए खेल के रूप में प्रस्तुतीकरण छात्रों की आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाने में भी सहायता कर सकता है, जिससे शिक्षण के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

इस प्रकार, एक डिजिटल विश्वविद्यालय(राष्ट्र के लिए शिक्षण प्रक्रिया को एकीकृत करने, डिजिटल समावेश की सुविधाओं को साकार करने और समानता के आधार पर अमीर एवं गरीब के भविष्य का निर्माण करने का बड़ा अवसर हो सकता है। हालांकि, डिजिटल विश्वविद्यालय का कार्य केवल पारंपरिक पाठ्यक्रम सामग्री को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने और ऑनलाइन तरीके के शिक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम सामग्री को डिजिटल रूप में पेश करना, केवल डेटा या जानकारी की प्रस्तुति के समान है, यह जाने बिना कि इसका किस रूप में उपयोग किया जाना है। विश्लेषण, संश्लेषण, अनुमान करना, निष्कर्ष को सुदृढ़ करना, अनुप्रयोग क्षमता, तैयार की गयी शिक्षण-सामग्री का सत्यापन और पाठ्यक्रम के मध्य में सुधार आदि शिक्षा-प्राप्ति के चक्र को पूरा करते हैं। इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए, यह ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया की सबसे बड़ी चुनौती है। शिक्षा-प्राप्ति के हाइब्रिड मॉडल का रचनात्मक उपयोग इस कमी को दूर करने में सहायक हो सकता है। शिक्षा-प्राप्ति का हाइब्रिड मॉडल, जैसी आम धारणा है, केवल ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम के मिश्रण पर आधारित शिक्षण प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। यह वास्तव में व्याख्यान, विशेष कक्षाएं, समूह चर्चा, वाद-विवाद, छात्रों की संगोष्ठी, गृह कार्य, शोध प्रबंध, प्रशिक्षण (इंटर्नशिप), मामला आधारित अध्ययन (केस स्टडी), नीति निर्माण, परियोजना मूल्यांकन, क्षेत्र अध्ययन, सर्वेक्षण, भ्रमण, वर्चुअल प्रयोगशालाओं आदि के उपयोग पर आधारित शिक्षा-विज्ञान एक उपयुक्त सम्मिश्रण है, ताकि शिक्षार्थियों का क्षमता निर्माण हो सके। डिजिटल विश्वविद्यालय में, यदि सावधानी से इसकी अवधारणा तैयार की जाती है और इसे आगे बढ़ाया जाता है, वर्तमान शिक्षण प्रणाली को एनईपी 2020 के परिकल्पित रूप में बदलने की क्षमता है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रही है पंचवटी योजना

शिमला। राज्य सरकार की सर्वस्पर्शी योजनाओं से प्रदेश के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो रहा है। राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को सदैव ही सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनरेगा के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खंड में आवश्यक सुविधाओं से युक्त पार्क और बगीचे विकसित किए जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए कम से कम एक बीघा भूमि पर यह पार्क विकसित किए जा रहे हैं।

वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा 14वें वित्त आयोग के अभिसरण के अन्तर्गत इन पार्को का निर्माण किया जा रहा है। प्रत्येक पार्क के निर्माण की अनुमानित लागत 8,75,000 रुपये रखी गई है परन्तु क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए निर्माण लागत में वृद्धि की जा सकती है।

इन पार्कों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से आयुर्वेदिक, औषधीय पौधे लगाने के साथ बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए मनोरंजक उपकरण, पैदल पथ और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पार्क में जॉगिंग ट्रेक, योग और ध्यान की कक्षाओं के लिए विशेष स्थान, महिलाओं और पुरुषों के लिए शौचालय की सुविधा तथा सोलर लाइटें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन पार्कों में निर्माण कार्यों के लिए ग्रामीण विकास विभाग के तकनीकी विंग की सेवाएं ली जा रही हैं। ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही इन पार्कों का रख-रखाव किया जा रहा है।

प्रदेश में वित्त वर्ष 2020-21 में प्रदेश के 288 स्थानों पर भूमि का चयन कर पंचवटी पार्को के निर्माण कार्यों के लिए लगभग 965 लाख रुपये प्रदान किए गए। वित्त वर्ष 2021-22 में 217 स्थानों पर भूमि का चयन किया गया है और पार्कों के कार्य के लिए 157 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। ऊना जिले मे 97 स्थानों, शिमला जिले मे 23, मंडी जिले में 12, कुल्लू जिले मे 8, लाहौल-स्पीति में 3, सिरमौर जिले में 4, सोलन जिले में 7, कांगड़ा जिले में 37, किन्नौर जिले में 6, हमीरपुर जिले में 12 तथा बिलासपुर और चम्बा जिले में चार-चार स्थान पार्क बनाने के लिए चिन्हित किये गए हैं। वर्तमान में प्रदेश के 268 स्थानों पर पंचवटी पार्को का कार्य प्रगति पर है।

जिला सिरमौर के विकास खण्ड नाहन की ग्राम पंचायत महीपुर में बना पंचवटी उपवन बेचड़ का बाग हर आयुवर्ग के लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बन गया है। यह पंचवटी उपवन 120 वर्गमीटर में फैला है और इस उपवन में वृद्धजनों के बैठने के उपयुक्त स्थान के साथ लॉन, जॉगिंग ट्रेक और बच्चों के लिए अलग से खेलने का स्थान उपलब्ध करवाया गया है। इस पार्क की बाड़-बंदी भी की गई है और यहां पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते प्रचार वाक्य (स्लोगन) लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं।

वरिष्ठजनों को केंद्र में रखकर बनाई गई पंचवटी योजना ग्रामीण विकास की परिकल्पना को साकार करती है। राज्य सरकार का ध्यान सदैव ही ग्रामोन्मुखी नीतियों पर केन्द्रित रहा है, जिससे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तेजी से सुनिश्चित हो रहा है। इन पार्को के माध्यम से वृद्धजनों की शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और वे अपना समय बेहतर ढंग से व्यतीत कर रहे हैं। यह योजना वृद्धजनों की प्रत्याशा बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है।

जारीकर्ताःनिदेशक,सूचना एवं जन सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002

तीव्र गति से लक्ष्य की ओर अग्रसर है 'जल जीवन मिशन'

9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन पहुँचना अभूतपूर्व उपलब्धि

–विनी महाजन–
सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय

देश के 9 करोड़ ग्रामीण घरों में सीधे नल कनेक्शन से शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो जाना वास्तव में ही एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और, देशभर के ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2019 को घोषित 'जल जीवन मिशन' के तहत यह नई उपलब्धि हासिल की गई, 16 फरवरी, 2022 के दिन। यानि केवल ढाई साल में देश में नल कनेक्शन से युक्त ग्रामीण घरों की कुल संख्या मात्र सवा 3 करोड़ से भी कम से उछाल मार कर 9 करोड़ की संख्या को पार कर गई है। प्रतिशत की बात करें तो, 15 अगस्त, 2019 के दिन देश में 17% से भी कम (16.79%) ग्रामीण घरों में ही पेय जल के नल कनेक्शन थे, जो आज कुलांचे भर कर लगभग 47% (46.67%) हो गई है। और, यह बड़ी उपलब्धि उस काल-खंड में हासिल की गई है जब देश, दुनिया के अन्य भागों की ही तरह, कोविड जैसी विकराल महामारी से जूझ रहा था। ऐसे कठिन दौर में भी हम 5 करोड़ 77 लाख और ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल पहुंचा सके हैं। जिनमें से अनेक घर तो अत्यंत दुर्गम पहाड़ों पर बसे हैं।

और, यह सब संभव हो पाया है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घोषित, और राज्यों के सहयोग से चलाये जा रहे, भविष्योन्मुखी 'जल जीवन मिशन' से, जिसका लक्ष्य है देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में 2024 तक नल कनेक्शन से पीने का शुद्ध पानी उपयुक्त मात्रा में और नियमित रूप से उपलब्ध कराना। फिर चाहे गांवों के वे घर कितने ही सुदूर और दुर्गम इलाकों में क्यों न स्थित हों(और उन गांवों में भी प्रत्येक घर को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। चाहे कोई परिवार कितना ही ग़रीब और बेसहारा क्यों न हो। यानि गरीब से गरीब और पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति के घर भी समता के आधार पर पीने के शु) पानी का नल कनेक्शन लगाया जाएगा। इस मिशन का सबसे अधिक फ़ायदा ग्रामीण महिलाओं को पहुँच रहा है, क्योंकि घर के लिए दूर-दूर से, और विषम से विषम परिस्थितियों में भी, पानी ढो कर लाने की ज़िम्मेदारी हमारी ये माताएँ-बहनें और बच्चियाँ ही मजबूरी में निभाती आ रही हैं। अनेक इलाकों में तो उनका आधा जीवन इसी मजबूरी को निभाने में खप जाता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री की जल जीवन संबंधी परिकल्पना से अब हमारी माताएँ-बहनें और बच्चियाँ इस अभिशाप से मुक्त होने लगी हैं। अपने घर में ही नल से शुद्ध जल मिल जाने के फलस्वरूप अब वे अपने बचे बहुमूल्य समय का सदुपयोग नाना प्रकार से अपने स्वयं के विकास के लिए या घर-परिवार की आर्थिक गतिविधियों में हाथ बंटाने में कर सकती हैं, जिससे उनके घर की आर्थिक संपन्नता में भी वृद्धि होगी।

जल जीवन मिशन की बुनियाद में मौजूद 'अंत्योदय', यानि कतार में सबसे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक भी सुविधा पहुंचाने की भावना का ही परिणाम है कि देश के 6 प्रदेश 'हर घर जल' बन गए हैं। यानि उनके प्रत्येक गाँव के प्रत्येक घर में नियमित और भरोसेमंद पेयजल आपूर्ति के लिए नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। ये प्रदेश हैं (3 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र यानि यूनियन टेरीटरीज़): गोवा, तेलंगाना, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, पुदुचेरी, हरियाणा तथा दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव। और, अब पंजाब भी जल्द ही 'हर घर जल' राज्य बनने वाला है, क्योंकि वहाँ 99% से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन लग चुके हैं। 3 अन्य राज्य- हिमाचल प्रदेश, गुजरात और बिहार भी तीव्र गति से 'हर घर जल' बनने की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि वहाँ 90% से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल मिलने लगा है।

समाज के सबसे कमज़ोर और उपेक्षित लोगों के घरों तक भी नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के सर्वव्यापी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन द्वारा अपनाए गए 'अंत्योदय' के सिद्धान्त का ही परिणाम है कि आज देश के 117 आकांक्षी जिलों में पेयजल के नल कनेक्शनों की संख्या 24 लाख 32 हज़ार (7%) से बढ़ कर 1 करोड़ 36 लाख (40%) को पार कर गई है। इसी प्रकार, 5 राज्यों में जे.ई.-ए.ई.एस. बीमारी से प्रभावित 61 ज़िलों में नल जल कनेक्शनों की संख्या 8 लाख (2.6%) से बढ़ कर 1 करोड़ 23 लाख (40.59%) को पार कर गई है। इससे न केवल वहाँ के लोगों, ख़ासकर महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार आया है, बल्कि घर में ही शुद्ध पेयजल मिलने से इन बीमारियों की रोकथाम में भी बड़ी मदद मिली है।

जल जीवन मिशन की सम्पूर्ण परिकल्पना में गांवों को ही केन्द्रबिन्दु बनाया गया है। अर्थात, जल जीवन मिशन गांवों के लिए गांवों द्वारा चलाया जाने वाला अद्भुत कार्यक्रम है, जिसमें गांवों के हर वर्ग के लोगों को शामिल कर उनके सहयोग और उनकी पूर्ण भागीदारी से आगे बढ़ाया जाता है। ग्राम-स्तर पर स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन में व्यवस्था की गई है कि ग्राम पंचायत गाँव में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी एक उप-समिति बनाए जिसे 'पानी समिति' कहा जाता है। यह पानी समिति अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वह गाँव में नल कनेक्शन देने के लिए स्थापित होने वाली जल आपूर्ति प्रणाली की पूरी रूपरेखा तैयार करने में और उसे लागू करने में पूरी तरह शामिल होती है। वास्तव में यह पानी समिति सरकारी व्यवस्था की मदद से अपने गाँव के लिए पंच-वर्षीय 'ग्राम कार्य योजना' (यानि 'विलेज एक्शन प्लान') तैयार करती है, जो गाँव में उपलब्ध जल-स्रोतों और गाँव की भावी आवश्यकता को ध्यान में रख कर बनाई जाती है। देशभर में अब तक लगभग 3.82 लाख से ज्यादा 'ग्राम कार्य योजनाएं' तैयार हो चुकी हैं, जिन पर काम भी शुरू हो गया है।

गाँव में एक बार जल आपूर्ति प्रणाली के तहत बुनियादी ढांचा और व्यवस्था स्थापित हो जाने पर पानी समिति गाँव के लिए एक 'स्थानीय लोक जल प्रदाय संस्था' (जिसे अंग्रेज़ी में 'पब्लिक यूटिलिटी' कहते हैं) के रूप में कार्य करने लगती है। ग्रामीण समाज में चूंकि महिलाएं सदियों से घर के पानी का प्रबंध करती आई हैं, अतः उनकी इसी काबलियत का भरपूर उपयोग करते हुए जल जीवन मिशन ने व्यवस्था की है कि प्रत्येक पानी समिति में 50% सदस्य महिलाएं हों। साथ ही, ग्रामीण समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को भी उनके अनुपात में इस पानी समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ताकि समाज का कोई भी अंग पीछे न छूटने पाये। देश के लगभग 6.5 लाख गावों में से अब तक 4.69 लाख से ज्यादा गांवों में ऐसी पानी समिति गठित की जा चुकी हैं, जिन्होंने कार्य भी शुरू कर दिया है।

ये ग्रामीण भारत की इन्हीं ग्राम कार्य योजनाओं और पानी समितियों का कमाल है कि आज देश 9 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध करने के आंकड़े को पार कर गया है। पानी समितियों को उनके इस काम में मार्गदर्शन करने, सक्षम बनाने और प्रारम्भिक दौर में उनकी उंगली पकड़ने के लिए प्रत्येक गाँव में 'कार्यान्वयन सहयोग एजेंसियों' (जिन्हें आम तौर पर 'आइ.एस.ए.' कहा जाता है) को अनुबंधित किया गया है, ताकि पानी समिति को सब काम अच्छी तरह समझ में आ जाए, और भविष्य में वे स्वयं सक्षम हो जाएँ। पंचायत, ज़िला और राज्य-स्तर के अधिकारियों/ कार्मिकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था जल जीवन मिशन के अंतर्गत की गई है, ताकि यह मिशन केवल जल के दोहन तक ही सीमित न रह जाए बल्कि जल-स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन पर भी उतना ही ध्यान दिया जा सके। इससे जल जीवन मिशन देश में जल-सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकेगा। अगस्त 2019 के बाद से देखा जा रहा है कि जल आपूर्ति प्रणालियों का स्वामित्व ग्राम-स्तर की संस्थाओं को प्रदान करने का जो अभूतपूर्व कदम उठाया गया है उसका स्थानीय समुदाय ने भरपूर स्वागत किया है और इससे ग्राम-स्तर पर 'ज़िम्मेदार और संवेदनशील नेतृत्व' विकसित करने में भी मदद मिली है।

जल जीवन मिशन के तहत घरों को सप्लाई किए जाने वाले पानी की क्वालिटी, यानि गुणवत्ता भी पूरी तरह सुनिश्चित की जाती है, ताकि इन सभी 9 करोड़ से ज्यादा नल कनेक्शनों का पानी इतना शुद्ध हो कि लोग सीधे नलके से पानी पी सकें। इसके लिए प्रत्येक गाँव में वहीं की 5 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है कि वे ख़ास तरह की तकनीक से बने 'फ़ील्ड टेस्ट किट्स' (जिन्हें आसानी के लिए 'एफ़.टी.के.' कहा जाता है) की मदद से गाँव के नलकों और जल स्रोत की समय-समय पर जांच कर सकें। अब तक देशभर में 9 लाख ग्रामीण महिलाओं को ऐसी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सरकारी स्तर पर भी सभी जल स्रोतों और सप्लाई हो रहे पानी की साल में 1-2 बार जांच की जाती है और फिर देशभर से मिली उन जांच रिपोर्ट को जल जीवन मिशन की एक विशेष राष्ट्रव्यापी 'जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली' (डबल्यू.क्यू.एम.आइ.एस.) में प्रविष्ट किया जाता है, ताकि कोई भी कमी पाये जाने पर सभी चौकस हो जाएँ और उपयुक्त कदम उठा कर उस कमी को तत्काल दूर किया जा सके। इस सूचना प्रणाली में एफ़.टी.के. के ज़रिये की गई जल गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट और जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं से मिली रिपोर्ट को भी शामिल किया जाता है। देशभर में फैली 2,000 से ज्यादा 'जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं' को अब तक आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति एक छोटा सा शुल्क दे कर पानी के नमूने की जांच करवा सकता है। इसके अलावा, घरेलू तथा ग्राम स्तर पर इस्तेमाल किए जा सकने योग्य 'पोर्टेबल वॉटर क्वालिटी टेस्टिंग' उपकरण भी विकसित किए जा रहे हैं, जो जल्द ही बाज़ार में उपलब्ध हो जाएंगे।

बच्चों को पानी से फैलने वाली बीमारियां जल्दी हो जाती हैं। इसी कारण 'जल जीवन मिशन' के तहत स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में नल से शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का विशेष प्रावधान किया गया है। इससे गांवों के बच्चों में पानी से फैलने वाली बीमारियों में कमी आएगी, जिससे बच्चों-विद्यार्थियों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और वे अपनी पूरी ताकत पढ़ाई-लिखाई में लगा सकेंगे। बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल के महत्व को भलीभाँति स्वीकार करते हुए, 2020 में गांधी जयंती के दिन जल जीवन मिशन के तहत एक विशेष अभियान शुरु किया गया था जिसका उद्देश्य स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों और आश्रमशालाओं में नल से पेयजल की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर करना था। इस विशेष अभियान के तहत किए गए अथक प्रयासों का ही फल है कि अब देशभर में फैले 8.46 लाख (82%) से ज्यादा स्कूलों तथा 8.67 लाख (77.61%) से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रों में नल से साफ पानी की आपूर्ति होने लगी है। अब जब बच्चे फिर से स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों और आश्रमशालाओं को लौटने लगे हैं, तब उन्हें उनके उपयोग के लिए यह नल से जल उपलब्ध हो रहा है। शिक्षा के इन केन्द्रों में वर्षाजल संचयन और 'ग्रेवॉटर' प्रबंधन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बचपन के इस दौर में बच्चों को जल संरक्षण के विभिन्न पहलुओं से अवगत करने से वे जल संबंधी अच्छी आदतें सीख सकेंगे, जिससे भविष्य में वे निरंतरता पर आधारित सुखी जीवन जी पाएंगे।

जल जीवन मिशन कुछ ख़ास इलाकों में शुद्ध पेयजल शीघ्रता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता को भी भलीभाँति समझता है। इसीलिए इस मिशन के तहत जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों, सूखाप्रभावित और रेगिस्तानी क्षेत्रों, जे.ई.-ए.ई.एस. प्रभावित तथा आकांक्षी जिलों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना वाले गांवों, आदि को प्राथमिकता दी जाती है।

'जल जीवन मिशन' की इस अद्भुत सफलता में नवीनतम टेक्नॉलॉजी के भरपूर उपयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण लोगों को समुचित जल-आपूर्ति सेवा ('सर्विस डिलीवरी') प्रदान करने तथा समूची प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और धनराशि का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम टेक्नॉलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में लग रहे नल जल कनेक्शनों की संख्या और खर्च की जा रही धनराशि पर निरंतर नज़र रखने के लिए जे.जे.एम.-आइ.एम.आइ.एस. जैसी पुख़्ता सूचना प्रबंधन प्रणाली इस्तेमाल की जा रही है, जिसके 'डैशबोर्ड' से कोई भी आम व्यक्ति जानकारी हासिल कर सकता है। इसके लिए आप ejalshakti.gov.in वैबसाइट पर जा कर 'डैशबोर्ड' पर क्लिक करें। आपको तत्काल सारी जानकारी मिल जाएगी। लिंक इस प्रकार है: https://ejalshakti.gov.in /jjmreport/JJMIndia.aspx

ग्रामीण घरों में नल से पहुँच रहे जल की मात्रा, गुणवत्ता और नियमितता पर हर वक्त नज़र रखने के लिए सेन्सर-आधारित आइ.ओ.टी. प्रणाली भी परीक्षण के तौर पर आजमाई जा रही है। जल-आपूर्ति के लिए बनाए गए प्रत्येक ढांचे और परिसम्पत्ति की फोटो 'जियो-टैगिंग' की जा रही है। किसी अकेले गाँव के लिए जल-आपूर्ति परियोजना (सिंगल विलेज स्कीम) बनाते समय पेयजल-स्रोत का पता लगाने और एक्वीफ़र रीचार्ज स्ट्रक्चर बनाने के लिए हाइड्रो-जियो मॉर्फ़ोलॉजिकल (एच.जी.एम) नक्शों का इस्तेमाल किया जाता है। जल जीवन मिशन के तहत घर-घर में लगाए जा रहे नल कनेक्शनों का पक्का हिसाब रखने के लिए उन्हें घर के मुखिया के आधार नंबर से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा, मिशन के तहत होने वाले तमाम वित्तीय लेनदेन सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली ('पीएफ़.एम.एस.') द्वारा किए जाते हैं। यानि पूरा वित्तीय लेन-देन हर प्रकार से पारदर्शी बनाया गया है।

जल जीवन मिशन में आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने तथा उनकी रुचि जगाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्तूबर 2021 को 'जे.जे.एम. मोबाइल ऐप' का लोकार्पण किया था। उपयोग में आसान यह ऐप 'जल जीवन मिशन' के कार्यान्वयन, उसकी प्रगति, मिशन से संबन्धित आई.ई.सी. सामग्री तथा कार्यक्रम संबंधी नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके ज़रिये कोई भी जे.जे.एम. डैशबोर्ड, विभिन्न संस्थाओं के लिए जारी दिशा-निर्देश/ मार्गदर्शिका, जल आपूर्ति से जुड़ी सम्पत्तियों की एसेट टैगिंग और डाटा अप्डेशन(ग्राम पंचायत/ पानी समिति द्वारा 'हर घर जल' की घोषणा, आदि जैसी तकनीकी जानकारी भी हासिल कर सकता है।

जल जीवन मिशन के तहत गांवों में जल आपूर्ति कार्यों को तेज़ी से पूरा करने के लिए, और साथ ही स्थानीय जल आपूर्ति प्रणालियों के नियमित प्रचालन और रखरखाव के लिए समुचित संख्या में हुनरमंद लोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थानीय युवाओं को प्लम्बर, मिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, फ़िटर, पम्प ऑपरेटर, आदि के कार्य के लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, ताकि जल आपूर्ति प्रणालियों के सुगम प्रचालन में कभी कोई व्यवधान न आए। इससे 'जल जीवन मिशन' ग्रामीण इलाकों में रोज़गार के अवसर पैदा करने में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है।

इस प्रकार जल जीवन मिशन ग्रामीण जीवन को कई तरीकों से और सुगम बना रहा है: एक ओर वह ग्रामीण लोगों को उनके ही घर में नल से जल उपलब्ध करा कर सुविधा के मामले में उन्हें शहरी लोगों के समकक्ष ला रहा है(दूसरी ओर वह ग्रामीण लोगों की 'ईज़ ऑफ़ लिविंग' को और बेहतर बना रहा है (तीसरे, इस मिशन से महिलाओं को घर के लिए पानी ढो कर लाने की सदियों पुरानी मजबूरी से छुटकारा मिल रहा है (चौथा यह कि जल जीवन मिशन ग्राम-स्तर पर सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर और स्थानीय नेतृत्व को विकसित कर गांधी जी के 'ग्राम स्वराज' के सपने को पूरा करने की दिशा में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है(साथ ही यह मिशन गांवों के हर घर में नल से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही स्वच्छता बनाए रखने पर भी पूरा ध्यान दे रहा है, ताकि हमारे गाँव तरल और ठोस, दोनों प्रकार के कचरे से मुक्त हो सकें(छठा यह कि जल जीवन मिशन से ग्रामीण भारत में गाँव-गाँव में रोजगार के भी नए-नए अवसर पैदा हो रहे हैं क्योंकि मिशन के अंतर्गत स्थापित जल आपूर्ति प्रणाली को चलाने और उसके रख-रखाव के लिए नियमित रूप से विभिन्न हुनरों में पारंगत कारीगरों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। ग्रामीण भारत से जुड़ी इस सम्पूर्ण पृष्ठभूमि में वहाँ 9 करोड़ नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिये जाने का आंकड़ा सम्पूर्ण भारत के लिए ही अत्यंत आशाजनक है, क्योंकि जब गाँव का भारत विकास करेगा तभी तो भारत देश अपनी संपूर्णता में आगे बढ़ कर विश्व में अपना यथोचित स्थान ग्रहण कर पाएगा। इस प्रकार 9 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेना सिर्फ एक मील का पत्थर भर नहीं, बल्कि एक उद्घोष है कि आज का भारत कुछ भी हासिल कर लेने के लिए कृतसंकल्प भी है, और साधन एवं शक्तिसंपन्न भी।

जल जीवन मिशन की एक ख़ूबी यह भी है कि इसके लिए धन की प्रचुर मात्रा में अग्रिम रूप से ही व्यवस्था कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2019 को देश के 73वें स्वतन्त्रता दिवस के पावन अवसर पर लाल किले की प्राचीर से इस मिशन की घोषणा के समय ही बता दिया था कि जल जीवन मिशन के लिए साढ़े 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग ने भी जल एवं स्वच्छता को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानते हुए इन दोनों कार्यों (जल एवं स्वच्छता) के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों/ पंचायती राज संस्थाओं को 1.42 लाख करोड़ रुपये 'सशर्त' अनुदान के रूप में स्वीकृत किए हैं। इस प्रकार, जल जीवन मिशन के लिए धन की कोई कमी नहीं है। और, चूंकि यह मिशन विभिन्न प्रदेशों की भागीदारी से चलाया जा रहा है, अतः इसके कार्यान्वयन के लिए जनशक्ति भी समुचित संख्या में उपलब्ध है। इस प्रकार, जल जीवन मिशन की अद्भुत सफलता का राज़ भी माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की ही दूरगामी सोच में छिपा है, और वह है: 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'।

बागवानों को मिल रहा है विभागीय योजनाओं का लाभ:डीसी राणा

शिमला। ज़िला चंबा में बागवानों की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार की योजनाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बागवानों को अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

जिला चंबा में उद्यान विभाग द्वारा केंद और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाया जा रहा है।

उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि ज़िला में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत कृषि उपकरण, जल भंडारण टैंक, फूलों की संरक्षित खेती आदि के लिए 50 प्रतिशत उपदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। गत 4 वर्षो में 930 बागवानों को 103.16 लाख रूपए का अनुदान प्रदान किया जा चुका हैं।

हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से किए जा रहे कार्यो की जानकारी देते हुए डीसी राणा ने बताया कि बागवानों को समूह आधारित गतिविधियों के साथ जोड़कर सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था के साथ उद्यानिकी के विभिन्न कार्यो को आधुनिक तौर पर विकसित किया जा रहा है।

ज़िला में गत चार वर्षो के दौरान 35 समूहों (क्लस्टरों) का चयन किया गया है। इसके अंतर्गत 1500 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि में सिंचाई व्यवस्था करने का लक्ष्य है। इस परियोजना का कार्य समूह के सम्बन्धित जल उपयोगकर्ता संघ (Water User Association) द्वारा करवाया जा रहा है। विभाग द्वारा अभी तक 27 समूहों के जल उपयोगकर्ता संघ को 1294.60 लाख रूपए उपलब्ध करवाए जा चुके हैं।

परियोजना के तहत ज़िला में अब तक 40,000 उच्च गुणवता युक्त पौधों का रोपण किया गया।

बागवानों को आधुनिक तकनीक की जानकारी के लिए उद्यान विभाग द्वारा 179 शिविरों के माध्यम से 8478 बागवानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सिंचाई टैंक, वर्मिकोम्पोस्ट यूनिट, लघु स्तरीय मशरुम यूनिट इत्यादि की स्थापना के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। जिसमें गत 4 वर्षो में 137 बागवानों को लगभग 20 लाख रुपए की राशि बतौर अनुदान प्रदान की गई है । इसी तरह प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षो में 4.71 लाख रूपए का अनुदान प्रदान करके 397 बागवानों को लाभान्वित किया गया। इस योजना में ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई करने हेतु अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

ज़िला में फूलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के अंतर्गत पॉली हाउस व पॉलीटनल स्थापित करने तथा पंखे व पैड आदि लगाने के लिए 85 प्रतिशत तक उपदान प्रदान किया जा रहा है जिला में इस योजना के अंतर्गत अभी तक 63.43 लाख रुपए का अनुदान 42 बागवानों को प्रदान किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि बागवानी विकास योजना के अंतर्गत बागवानी में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए बागवानों को कृषि मशीनरी पर अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। गत चार 4 वर्षो में 77.31 लाख रूपए का अनुदान प्रदान करके 204 बागवानों को लाभान्वित किया गया।

प्रदेश सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन को स्वरोजगार का साधन बनाने के लिए मुख्यमंत्री मधु विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत मौन पालन के लिए मौन गृह और मौन वंश पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान व मौन पालन उपकरण इत्यादि पर अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा ह। गत वर्षो में 63.25 लाख रूपए का अनुदान प्रदान किया जा चुका है जिसमें 1041 बागवानों को लाभान्वित किया गया।

हिमाचल खुम्ब विकास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा छोटी खुम्ब उत्पादन इकाई, खुम्ब कम्पोस्ट इकाई पर अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्द करवाया जा रहा है । इसके अंतर्गत अभी तक 3.75 लाख रूपए का अनुदान प्रदान करके 40 बागवानों को लाभान्वित किया गया ।

इसी तरह एंटी हैल नेट योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों को ओलों से सुरक्षित रखने की दृष्टि से ओला अवरोधक जाली लगाने के लिए बागवानों को 80 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। गत 4 वर्षो में 24 बागवानों को 15.05 लाख रूपए का अनुदान प्रदान करके लाभान्वित किया गया। वहीं कृषि उत्पाद संरक्षण योजना की बात करें तो बांस व स्टील की स्थाई संरचना स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है अभी तक इस वर्ष 1.5 लाख रूपए का अनुदान प्रदान करके 4 बागवानों को लाभान्वित किया गया। जबकि वर्ष 2021-22 में शुरू की गई मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना में कीवी का बगीचा व सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने हेतु अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उप निदेशक उद्यान विभाग डॉ. राजीव चंद्रा ने बताया कि विभागीय योजनाओं से लाभ लेने के लिए विभाग के किसी भी नजदीकी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

एनआईसी की COVID-19 नमूना संग्रह प्रबंधन प्रणाली का पूरे देश में हो रहा उपयोग

शिमला/शैल। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) हिमाचल प्रदेश ने रैपिड एंटीजन, एंटीबॉडी और आरटी-पीसीआर परीक्षणों के लिए COVID-19 नमूना संग्रह प्रबंधन प्रणाली विकसित की है जिसका उपयोग पूरे देश में किया जा रहा है और अब तक इस प्रणाली का उपयोग करके 35 करोड़ से अधिक नमूने एकत्र किए गए हैं। COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों के प्रबंधन का कार्य अच्छी गति से चल रहा है।

एनआईसी के अतिरिक्त राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, ललित कपूर ने पीआईबी को बताया कि COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारण प्रतिदिन लगभग 10 लाख नमूने इस प्रणाली का उपयोग करके प्राप्त किए जा रहे हैं। मामलों की संख्या में भारी वृद्धि को पूरा करने के लिए प्रतिदिन 20 लाख नमूनों तक का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाया गया था।

उन्होंने कहा कि लगभग 82 वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जनवरी के महीने में कई विभागों के लिए लगभग 500 घंटे के वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) सत्रों की व्यवस्था की गई थी। इन वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधान मंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।

15 अगस्त 2022 को होगा BSNL की पूर्ण स्वदेशी तकनीक पर आधारित 4G मोबाइल सेवा का शुभारम्भ:रमेश ठाकुर

शिमला/शैल। भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत की पहल पर अक्षरश: पालन करते हुए हमारे देश की शत-प्रतिशत स्वामित्व वाले सार्वजानिक व एकमात्र राष्ट्रीय दूरसंचार उपक्रम, बीएसएनएल भारत वर्ष की आज़ादी के अमृत महोत्वसव के 75वें वर्ष के शुभ अवसर पर आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत पहली बार पूर्ण स्वदेशी तकनीक पर आधारित 4G मोबाइल सेवा का शुभारम्भ 15 अगस्त 2022 के दिन किये जाने के लिए यह राष्ट्रीय रणनीतिक संस्थान तत्पर है। यद्यपि बीएसएनएल पिछले कुछ महीनों से उत्तरोत्तर अपने यहा संतुष्ट ग्राहकों की संख्या में निरंतर वृद्धि कर रहा है। जिसका हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंम्भ के केवल कुछ ही सजग प्रहरी बीएसएनएल के लिए अपने कलम के माध्यम से रेखांकित करने का विषय समझते हैं। जिसका प्रमाण अभी हाल ही में 17 फ़रवरी के दिन मोबाइल ग्राहकों की जुड़ने और छोड़ने वाली एक न्यूज़ रिपोर्ट में एक जाने माने आर्थिक व दूरसंचार केंद्रित समाचार संस्थान के द्वारा दिसंबर 2021 में बीएसएनएल के साथ 11 लाख नए ग्राहक जुड़ने के बावजूद अपने उस समाचार में इस राष्ट्रीय संस्थान के साथ जुड़ने वाली समानुपातिक खबर में जिक्र तक नहीं करते हैं।

BSNL,TCS,CDoT TEJAS के द्वारा प्रथम स्वदेशी 4G प्रौद्योगिकी एवं उपकरण पर किया जा रहा प्रयोग अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए आखिरी चरण की सफलता के उपरांत अतिशीघ्र दूरसंचार क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित हर्षपूर्ण समाचार न केवल भारत के लिए उत्साहवर्धक रहेगा बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिए विस्तारवादी चीन से दूरसंचार उपकरण व प्रौद्योगिकी पर निर्भरता से निजात पाने वाला राहतवर्धक समाचार होगा। भारत सरकार के द्वारा पिछले वर्ष, सितम्बर 2021 में निजी क्षेत्र की कंपनियों को ए जी आर में राहत देने के उपरान्त अपनी शत-प्रतिशत स्वामित्व वाले सार्वजानिक उपक्रम, बीएसएनएल को बजट 2022-23 अभी हाल ही में वित्तमंत्री ने 1 फरवरी के दिन पूंजीनिवेश के लिए एक वित्त पैकेज की घोषणा की है। इस बजट में बीएसएनएल के लिए आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण स्वदेशी 4G सेवा प्रारंम्भ करना , केवल इस रणनीतिक संस्थान के द्वारा किए जाने का प्रावधान भारत सरकार की दूरदर्शी योजना के अंतर्गत रणनीतिक क्षेत्र में अगस्त 2020 में चिन्हित किये गए 5 अति महत्वपूर्ण उद्योगों को सशक्त रखने के अनुरूप ही है। इस राहत पैकेज से वर्षो से धन की अनुपलब्धता के कारण पूंजीनिवेश नहीं कर पाने से रुके पड़े 4G प्रौद्योगिकी सहित इसके कई अन्य लाभकारी प्रोजेक्ट पुन: शुरू हो पाएंगे जिससे बीएसएनएल के नेटवर्क में न केवल निश्चित तौर पर सुधार हो पायेगा बल्कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पूर्णतया स्वदेशी 5G और 6G के लिए व डिजीटल इंडिया कार्यक्रम के लिए एक साकार मार्ग प्रशस्त हो पायेगा।

यद्यपि निजी क्षेत्र की कंपनियों की लिए बैंकों से लोन लेने की सुविधा सदैव रही है, परन्तु सरकारी उपक्रम अपने दिशानिर्देशक के दिशा निर्देश व नियमों के अनुसार सीमित रहता है। निजी क्षेत्र को नेटवर्क क्षमता वृद्धि व विस्तार में पूंजीनिवेश के लिए असीमित लोन लेने की सुविधा के बावजूद पिछले 10-12 वर्षो के दौरान बीएसएनएल ने 12 से 14 निजी सेवा प्रदाताओं से जमकर प्रतियोगिता की है जिसकी प्रत्यक्षदर्शी भारत की जनता है, उन 12-14 निजी कंपनियों में से केवल 3 ही अब शेष रह गयी हैं, जिनके पास बैंकों व भारत सरकार के 4 से 5 लाख करोड़ रूपए का लोन व देनदारी भी है। वर्ष 2020 के बाद से बीएसएनएल की परिचालन लागत में कमी के कारण इसके प्रर्दशन में लगातार सुधार हो रहा है। दिसंबर 2021 में इसके साथ 11 लाख नए मोबाइल ग्राहक जुड़े हैं। जनवरी-फरवरी 2022 में भी जुड़ने वाले ग्राहकों की संख्या उत्साहवर्धक है। BSNL की नई सेवा भारत फाइबर (FTTH) में भी ग्राहकों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 20 लाख तक पहुँच गई है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 4G सेवा के उपरांत बीएसएनएल के प्रदर्शन व नेटवर्क में सुधार का यह वर्तमान क्रम जारी रहा तो, भारतवर्ष का हरेक नागरिक राष्ट्रीय रणनीति के इस महत्वपूर्ण व मौलिक दायित्व वाले उपक्रम से दूरसंचार सेवा का उपयोग करने पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेगा।

विभागीय परीक्षा के लिए 21 से 24 फरवरी, 2022 तक कर सकेंगे आवेदन

शिमला/शैल। विभागीय परीक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश के एक प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड द्वारा पूर्व निर्धारित 14 फरवरी, 2022 से 22 फरवरी, 2022 तक आयोजित की जाने वाली विभागीय परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था और इसके स्थान पर हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड द्वारा विभागीय परीक्षा का आयोजन 21 मार्च, 2022 से 30 मार्च, 2022 से करवाने का निर्णय लिया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि इसके दृष्टिगत विभागीय परीक्षा बोर्ड द्वारा जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि जो अभ्यर्थी 31 दिसम्बर, 2021 तक अपने आवेदन नहीं भर पाए थे, उन्हें अतिरिक्त समय देते हुए वे अब मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से 21 फरवरी, 2022 से 24 फरवरी, 2022 रात्रि 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सभी विभागाध्यक्षों को भी सूचित किया गया है कि प्राप्त आवेदन पत्रें को 21 फरवरी, 2022 से 26 फरवरी, 2022 तक विभागीय परीक्षा बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

नौणी विवि ने विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार की तारीख की घोषित

शिमला/शैल। डॉ यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी ने विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार और दस्तावेजों के मूल्यांकन की तारीखों को अधिसूचित कर दिया है। विश्वविद्यालय ने हाल ही में इन पदों के लिखित परिणाम घोषित किए थे जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.yspuniversity.ac.in पर उपलब्ध है।

अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार, इंस्ट्रूमेंटेशन तकनीशियन (पोस्ट कोड 300) के लिए साक्षात्कार 17 फरवरी को सुबह 10:30 बजे विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में आयोजित किया जाएगा। साथ ही फार्मासिस्ट (पोस्ट कोड 302) और स्पोर्ट्स असिस्टेंट (पोस्ट कोड 215) के पदों के लिए दस्तावेजों के मूल्यांकन की तिथियां क्रमश: 18 और 19 फरवरी निर्धारित की गई हैं। सहायक लाइनमैन (पोस्ट कोड 216) और जूनियर तकनीशियन (पंप ऑपरेटर) पोस्ट कोड 211 के पदों के लिए दस्तावेजों के मूल्यांकन की तिथियां क्रमश: 21 और 22 फरवरी निर्धारित की गई हैं।

विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिये परिणाम लिस्ट के अनुसार साक्षात्कार और दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय में उपस्थित हों।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या कांग्रेस के वर्तमान ढांचे को ही चुनावों की शक्ल देने की योजना बनाई जा रही है

ऊना में हुई बैठक में आया सुझाव

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों संगठनात्मक संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया चल रही है। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन के पदाधिकारियों का चुनाव होगा। इस चुनाव में कार्यकर्ता जिसे प्रदेश अध्यक्ष चुनेंगे वह सर्वमान्य होगा क्योंकि वह चयन से आयेगा मनोनयन से नहीं। चुनाव की इस प्रक्रिया के संचालन के लिये हाईकमान की ओर से चुनाव अधिकारी तैनात हैं। दीपा दास मुंशी चुनाव की मुख्य अधिकारी हैं। चुनाव प्रक्रिया के पहले चरण में सदस्यता अभियान हैं। प्रदेश विधानसभा के लिए इसी वर्ष के अंत तक चुनाव होने हैं। वर्तमान मनोनीत अध्यक्ष के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। प्रदेश में यदि बतौर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की भूमिका का आकलन किया जाये तो विधानसभा के अंदर जितनी प्रभावी है बाहर फील्ड में उसका आधा भी नहीं। विधानसभा का यह बजट सत्र वर्तमान कार्यकाल का एक तरह से यह अंतिम प्रभावी सत्र होगा। इस सत्र के बाद व्यवहारिक रूप से सारे दलों की चुनावी गतिविधियों शुरू हो जायेंगी। इस चुनावी गणित को सामने रखकर कांग्रेस में पिछले कुछ अरसे से अध्यक्ष को बदलने की मांग उठनी शुरू हो गई है। विधायकों का एक वर्ग इस संबंध में दिल्ली के चक्कर भी लगा चुका है। अध्यक्ष को बदलने की मांग का यदि निष्पक्षता से विश्लेषण किया जाये तो इसके लिए वर्तमान पदाधिकारी के आकार पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। इस समय संगठन में राज्य स्तरीय प्रवक्ता ही शायद डेढ़ दर्जन है। अन्य पदाधिकारी भी इसी अनुपात में हैं। बारह जिलों और चार लोकसभा क्षेत्रों वाले प्रदेश में यदि पदाधिकारी इतनी बड़ी संख्या में होंगे तो निश्चित है कि वहां संगठन कोई प्रभावी भूमिका अदा नहीं कर पायेगा। क्योंकि वहां पर पदों के सहारे नेताओं को संगठन में बनाये रखने की बाध्यता बन चुकी होती है।

अब जब संगठन के चुनाव हो रहे हैं तब चुनाव के माध्यम से ही नये अध्यक्ष का चयन होने देना भी लाभदायक माना जा रहा है। लेकिन जब संगठन में बैठे कुछ लोग इस प्रयास में लग जायें कि वर्तमान ढ़ांचे को ही चुनावों की शक्ल दे दी जाये तो उससे कुछ सवाल उठने स्वाभाविक हैं। क्योंकि प्रदेश विधानसभा के चुनाव से पहले ही राष्ट्रीय स्तर तक संगठन के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी तब इस तरह के प्रयासों को स्वीकार किया जा सकता है। सूत्रें के मुताबिक पिछले दिनों जब प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर दीपा दास मुंशी के साथ संगठन चुनाव के संबंध में ऊना आये थे तब यहां के संगठन द्वारा यह राय दी गई थी कि वर्तमान पदाधिकारियों को ही चयनित मान लिया जाये। इसके लिए यह तर्क दिया गया कि चुनावी वर्ष में संगठन के चुनाव करवाने से कई लोगों में नाराजगी पैदा हो सकती है। दीपा दास मुंशी से यह आग्रह किया गया कि वह इस सुझाव को हाईकमान के पास रखें और उसके लिये हाईकमान की सहमति प्राप्त करने का प्रयास करें। यदि यह प्रयास सुझाव मान लिया जाता है तो फिर से पुराने पदाधिकारियों का ही कब्जा संगठन पर बना रहेगा और इससे नीचे तक रोष व्याप्त हो जायेगा

इस पर एक चर्चा और शुरू हो गयी है कि क्या ऐसा सुझाव सारे विधायकों तथा पूरे संगठन का है या कुछ ही लोगों का है। क्योंकि इसका एक अर्थ यह भी लगाया जा रहा है कि जो लोग संगठन पर अपना कब्जा चाहते हैं वह संगठन के चुनाव के माध्यम से ऐसा कर पाने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। इस समय जहां पूरी पार्टी को विधानसभा चुनावों की तैयारियों में लगना है वहीं पर संगठन के चुनावों को यह मोड़ देने से एक नया विवाद खड़ा होने की आशंका उभरती नजर आ रही है। क्योंकि इस समय पाटह के अंदर दलित नेतृत्व के नाम पर कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा है। ओबीसी वर्ग में भी चंद्र कुमार के बाद कोई बड़ा नेता नहीं है। ट्राईबल एरिया में भी जगत सिंह नेगी ही एक बड़ा नाम बचा है। राजपूत नेतृत्व के नाम पर सबसे बड़ा नाम कौल सिंह ठाकुर अपना विधानसभा चुनाव हारने के बाद लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। मंडी नगर निगम हारने के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन लोकसभा उपचुनाव में भी मंडी जिले में कमजोर रहा है। यहां तक की द्रंग में भी बढ़त नहीं मिल पायी है। कौल सिंह के बाद राजपूत नेताओं में आशा कुमारी, हर्षवर्धन चौहान, रामलाल ठाकुर और सुखविंदर सिंह सुक्खू आते हैं। ब्राह्मण नेताओं में मुकेश अग्निहोत्री के बाद दूसरा बड़ा नाम है ही नहीं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मुकेश का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। जातीय आंकड़ों में भी राजपूतों के बाद ब्राह्मण दूसरी बड़ी जाति है प्रदेश में। ऐसे में विधानसभा चुनावों के लिये भी मुख्यमंत्री के चेहरे का चयन करना आसान नहीं होगा। यह सही है कि इस समय पाटह के पास सबसे बड़ा नाम आनंद शर्मा का है लेकिन उनके लिए विधानसभा क्षेत्र का चुनाव करना ही बड़ा सवाल है।

कुमार विश्वास के आरोपों का

.....................पृष्ठ 1 का शेष

में सरकार बनाने के दावे के साथ चुनाव में उतरी हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियों के लिए कुमार विश्वास के आरोप एक गंभीर मुद्दा हो जाते हैं। फिर पिछले कुछ दिनों से हिमाचल में भी कई लोगों को खालिस्तान समर्थकों की ओर से धमकी भरे फोन आते रहे हैं। हिमाचल के भी कई क्षेत्रों को खालिस्तान में मिलाये जाने के संदेश दिये जाते रहे हैं।

इस परिदृश्य में यदि किसी राजनेता या उसकी पार्टी पर खालिस्तान का समर्थन करने के आरोप लगते हैं तो उन्हें हल्के से नहीं लिया जा सकता ना ही राजनीति के नाम पर उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। संभवत: इसी गंभीरता को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसको लेकर गृह मंत्रालय को इन आरोपों की जांच करवाने के लिए पत्र लिखा। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इसी गंभीरता के कारण इस मामले की जांच करवाये जाने का आश्वासन दिया है। अब यह केंद्रीय गृह मंत्री की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह इन आरोपों की जांच के परिणाम को देश की जनता के सामने रखें। लेकिन इन आरोपों का जवाब जिस तरह से केजरीवाल ने दिया है उससे आरोपों की गंभीरता कम नहीं हो जाती है। क्योंकि केजरीवाल ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया है कि खालिस्तान के समर्थकों के साथ उनकी कोई बैठक हुई है या नहीं। क्योंकि कुमार विश्वास ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी आंखों से इस बैठक को देखा है। यदि कुमार विश्वास की बात पर हास्य कवि होने के कारण विश्वास नहीं किया जा सकता तो केजरीवाल पर मुख्यमंत्री होने के नाम पर ही विश्वास कैसे कर लिया जाये। फिर किसी भी बड़े राजनेता पर अब अविश्वास करने का कोई आधार नहीं रह जाता है। केजरीवाल ने जब यह दावा किया कि उनके खिलाफ केंद्र ने कई जांचें करवा ली है और उनमें कुछ नहीं निकला है। तब यह नहीं बताया गया है कि इन जांचों का मुद्दा यह आरोप नहीं था। इसी के साथ केजरीवाल ने केंद्रीय एजेंसियों की काबिलियत पर भी सवाल उठाया है। लेकिन इन एजेंसियों के संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि एन आई ए जैसी एजेंसी में एक अधिकारी ग्यारह वर्ष काम करने के बाद पकड़ा गया है।

जहां तक दिल्ली में केजरीवाल के प्रशासन और सरकार का सवाल है तो उसके लिए कैग रिपोर्ट में आये तथ्यों से काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है। केजरीवाल ने जब सत्ता संभाली थी तब 2010 – 11 में दिल्ली सरकार का राजस्व 10,642 करोड़ के सरप्लस में था जो 2018 – 19 में 4465 करोड़ रह गया है। दिल्ली जल बोर्ड और डी टी सी लगातार घाटे में चल रही है दिल्ली मेट्रो भी लाभ नहीं कमा रही है। कैग के मुताबिक आठ लाख नौकरियां देने का दावा भी पूरा नहीं हो सका है। 2013 – 14 में दिल्ली सरकार का कैपिटल परिव्यय 11,685 करोड़ था जो 2018 – 19 में 9908 करोड़ रह गया है। कैपिटल परिव्यय का कम होना यह दर्शाता है कि अब विकास कार्यों पर लगभग विराम की स्थिति आती जा रही है। इसी तरह आर बी आई के मुताबिक दिल्ली सरकार का कर्ज भार जो मार्च 2011 में जी डी पी का 23.5 प्रतिशत था वह मार्च 2019 में बढ़कर 25.1 प्रतिशत हो गया है। स्वभाविक है कि जब कोई सरकार लगातार मुफ्त में सुविधायें देती जायेगी तो उसके पहले के जमा धन में कमी होती जायेगी और इसी के साथ उसका कर्जभार भी बढ़ता जायेगा। इसका परिणाम एक दिन बहुत भयानक होता है। इस परिदृश्य में केजरीवाल के सुशासन पर भी विश्वास करना कठिन हो जाता है।

मौद्रीकरण के नाम पर

....पृष्ठ 1 का शेष

है। पंचायतों से यह विवरण मांगे जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। इसका अर्थ हो जाता है कि सरकार द्वारा पंचायतों को भी पूरी और सही जानकारी नहीं दी गयी है। विपक्ष के पास भी शायद जानकारी नहीं है। सरकार ने भी इस योजना के उद्देश्यों पर कोई अलग से कुछ नहीं कहा है। ऐसे में आम आदमी की निगाहें इस पर लगी हुई है कि बजट सत्र में इस पर कोई चर्चा आती है या नहीं।